अत्यन्त महत्वपूर्ण

परिपत्र संख्या- 02 /सामा-1(5)/2020

प्रेषक,

दिनांक -11 मार्च 2020

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः- कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के सम्बन्ध में।

जैसाकि आप अवगत हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों में कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रहा है। प्रदेश की कारागारों में क्षमता से अधिक बन्दी निरूद्ध होने के कारण तथा बैरकों में एक साथ रहने के कारण कोरोना वायरस फैलने के सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है।

कोरोना वायरस के बचाव हेतु निम्न सावधानियॉ बरतनी आवश्यक हैं:-

1- बन्दियों एवं स्टाफ को स्वयं की व्यक्तिगत स्वच्छता रखने हेतु जागरूक किया जाना।

2- साबुन से हाथों को अच्छी तरह से दिन में कई बार धोया जाना।

3- कपड़े या रूमाल से नाक एवं मुॅह को ढ़कना, जिससे खांसी एवं छींक आने पर वायरस के फैलने से रोका जा सके।

4- खॉसी, बुखार या जुकाम होने पर तत्काल डाक्टर की सलाह लेना।

5- स्वयं को खॉसी या बुखार आने से दूसरे व्यक्तियों से दूर रखना।

6- नियत स्थान पर ही थूॅकना।

7- स्वच्छ पेय जल का दिन में कई बार सेवन करना।

-2-

कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु मुलाकात पर आये हुए आगन्तुकों एवं कारागार में दाखिल होने वाले नये बन्दियों तथा अदालत पेशी से लौट कर आये बन्दियों की विशेष स्क्रीनिंग किया जाना अपरिहार्य है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कारागारों में निरूद्ध बन्दियों तथा मुलाकातियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को उपरोक्त के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये। जागरूकता हेतु कारागार के अन्दर एवं बाहर प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा उपायों के फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाये। कारागारों में उपलब्ध पी0ए0 सिष्टम पर प्रतिदिन समय–समय पर सावधानियों का प्रसारण भी सुनिश्चित् किया जाये।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करते हुए निर्देशित कर दें कि खॉसी, जुकाम एवं बुखार से पीड़ित किसी भी कारागार के अन्दर आने वाले व्यक्ति को अनदेखा न किया जाये एवं तत्काल चिकित्साधिकारी को अवगत कराते हुए रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाये जायें।

परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

sd/-
(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परिपत्र पृ0सं0 02 /सामा–1(5)/2020, तद्दिनॉक 11 मार्च, 2020

प्रतिलिपि–समस्त उप महानिरीक कारागार को इस आशय से प्रेषित है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

06/03/20
(अम्बरीश गौड़)
वरिष्ठ अधीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।